न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 05/2008

नवरतन चौधरी पुत्र हीरालाल चौधरी निवासी के 70, कृष्णगंज आनासागर लिंक रोड, अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

(1) मगनी बेवा निम्बा

(2) दुद्वा पुत्र निम्बा

(3) उदा पुत्र नाथा समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर।

.....रेस्पोडेन्ट

अमृत चौधरी पुत्र हीरालाल चौधरी निवासी के 70, कृष्णगंज आनासागर लिंक रोड, अजमेर।

.... प्रोफार्मा रेस्पोडेंट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थितः–

1. श्री ..... अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री ..... अभिभाषक (रिस्पोडेन्ट)

आदेश

दिनांकः–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

अपीलान्ट द्वारा ग्राम माखुपुरा तहसील अजमेर के ख0न0 1351 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी–3 व ख0न0 1352 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा जमाबंदी सं0 2022 से 2025 के आधार पर नाथा पुत्र मोती रावत के नाम खातेदारी में दर्ज थे जिसे अपीलान्ट ने बजरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 28.12.81 को नाथा खरीद कर आराजी मुतनाजा का कब्जा प्राप्त कर लिया। अपीलान्ट ने उक्त बैनामा के आधार पर नामा0 तस्दीक करने हेतु निवेदन किये जाने पर नामा0 संख्या 143 विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरकर प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार, अजमेर द्वारा विक्रय पत्र 1981 में होना एवं अपखण्डन की श्रेणी में आने से सक्षम अधिकारी के नियमन आदेश के अभाव में दिनांक 07.12.2005 को खारिज किया गया। अपीलान्ट ने द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आदेश दिनांक 07.12.2005 से रूष्ठ होकर एक अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के यहां राजस्व अपील संख्या 65/2006 उनवान नवरतन चौधरी बनाम मगनी बेवा निम्बा वगैरह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व, अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई।

तहसीलदार, अजमेर

माननीय न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2005 को निरस्त कर अपने निर्णय दिनांक 01.08.2008 के द्वारा अपील अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि वे–अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर रिकॉर्ड के मध्यनजर प्रकरण पर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करे। उक्त आदेश की पालना में प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज किया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये गये।

इसके विपरित न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने अपील संख्या 19/2009/एलआर एक्ट/अजमेर में अपीलान्ट रूकमा, राधा पुत्रीयां नाथा व प्रेम, सम्पत्ति पुत्रीयां निम्बा द्वारा की गई अपील में दिनांक 26.10.2009 को निर्णय पारित कर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के आदेश दिनांक 01.08.2008 में संशोधन कर नवरतन चौधरी के साथ–साथ उक्त अपीलान्ट रूकमा, राधा पुत्रीयां नाथा व प्रेम, सम्पत्ति पुत्रीयां निम्बा रावत निवासी माखुपुरा को मृतक खातेदार नाथा के वारिसान की हैसियत से उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु निर्देशित किया, जिसकी पालना में प्रकरण में सम्बन्धित को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये गये।

प्रकरण में पटवारी हल्का माखुपुरा से मौका पर्चा रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्कालीन पटवारी हल्का माखुपुरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.11.2009 के द्वारा अपनी रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की है। जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि विवादित यर्किंग ख0न0 1691 रकबा 16–13–10 बीघा में एक रोलिंग मील रकबा 04–18–10 पर (श्री कैलाश चन्द शर्मा), रकबा 09–00–00 पर श्रीमती प्रेमलता पुत्री जगदीश शर्मा का कब्जा, तथा रकबा 01–07–00 पर अपीलान्ट (अमृत चौधरी) का कब्जा है। मौके पर प्रेमलता व अमृत चौधरी एवं नवरतन चौधरी की जमीन खाली पडी है।

प्रकरण में श्री रामसुख चौधरी अभिभाशक ने प्रेम, सम्पति पुत्रियां निम्बा जाति रावत की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत करते हुए राधा, रूकमा पुत्रियां नाथा व प्रेम, सम्पत्ति पुत्रियां निम्बा द्वारा जारी किये गये मुख्त्यारनामा आम की प्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा वर्तमान पटवारी हल्का माखुपुरा से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई।

वर्तमान पटवारी हल्का माखुपुरा ने अपने पत्र दिनांक 01.10.2021 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि– मुताबिक जांच उक्त यर्किंग ख0न0 1691 रकबा 16–13–10 के हाल ख0न0 1984 रकबा 0.16, 1985 रकबा 0.22, 1986 रकबा 0.21, 1987 रकबा 0.20, 1988 रकबा 0.21, 1989 रकबा 0.26, 1990 रकबा 0.22, 1991 रकबा 0.26, 1992 रकबा 0.11, 1993 रकबा 0.20, 1994 रकबा 0.26, 1995 रकबा 0.11, 1999 रकबा 0.10, 2001 रकबा 0.18 कुल किता 14 रकबा 2.70 है0 बने है। जो कि वर्तमान जमाबंदी सं0 2073–76 (वर्ष 2019 से स्थायी) में खाता

तहसीलदार, अजमेर

संख्या 347 में उदा पुत्र नाथा हि0 1/2, बुद्धा पुत्र नीम्बा हि0 1/4 मगनी पत्नी नीम्बा हि0 1/4 जाति रावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त खातेदार में उदा पुत्र नाथा जीवित है जबकि मगनी पत्नी नीम्बा व बुद्धा पुत्र नीम्बा फौत हो चुके है। जिनके वारिसान मुताबिक ग्रामवासियों के सम्पत्ति पुत्री नीम्बा पत्नी मंगला जाति रावत निवासी बडगांव अजमेर, प्रेम पुत्री नीम्बा पत्नी नेता जाति रावत निवासी भवानीखेडा नसीराबाद, अजमेर, मेवादेवी पत्नी बुद्धा फूलसिंह, कानसिंह, मानसिंह, सत्यसिंह पुत्रगण बुद्धा जाति रावत निवासी माखुपुरा, अजमेर, शारदा पुत्री बुद्धा पत्नी शिवराज जाति रावत नि0 गुढा, अजमेर है।

मुताबिक जांच उक्त वर्किंग ख0न0 1691 के हाल ख0न0 1984, 195, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2001 की भूमियों के अधिकांश भू–भाग पर भू–खण्ड, कुछ पक्के मकान, एक केलादेवी का मन्दिर व एक रोलिंग मिल अवस्थित है। कुछ शेष भूमि मौके पर रिक्त पाई गई है। जिसमें झाडियां उगी हुई है।

मा0 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1, अजमेर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 46/17 में न्यायालय में जरिये निर्णय दिनांक 19.07.2017 से हाल ख0न0 1984, 1996, 2001 वगैरह में मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश प्रस्तावित किये गये है।

पटवारी हल्का के उक्त प्रतिवेदन के क्रम में अपीलान्ट श्री नवरत्न चौधरी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि–

1. यह कि कथशुदा भूमि के भू–भाग पर चौसाला ख0न0 1351 व 1352 से वर्किंग जमाबंदी के ख0न0 1691 के हाल आधार ख0न0 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2001 के कुछ भाग पर बबूल की झाडियां व रिक्त भूमि है जो कि प्रार्थी का ही कब्जा साक्ष्य है तथा प्रार्थी कुछ समय से ही उक्त स्थान पर काबिज होकर निरीक्षण व देखरेख करता आ रहा है।
2. यह कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अन्दर अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अजमेर वाद संख्या 46/17 में निर्णय दिनांक 19.07.2017 के अनुसार वाद में वर्णित खसरा नं0 व अपील में दर्ज सभी नम्बर के सम्बन्ध में जमाबंदी पर पेन्सिली नोट अंकित कर हाल ख0न0 1984 वगैरह में रिकॉर्ड मौके की स्थिति का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में वादी अपीलार्थी को निवेदन है कि निर्णय दिनांक 19.07.2017 में जो आदेश पारित हुए है वह प्रार्थना पत्र में वर्णित मद संख्या 14 में अंकित सम्पत्ति के लिये ही है न कि प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त सम्पत्ति के लिये है तथा प्रार्थना पत्र अन्दर मुख्त्यारनामा का दुरूपयोग मद संख्या 14 में अंकित सम्पत्ति के लिये ही है। जिससे प्रार्थी का उक्त मद सं0 14 में वर्णित सम्पत्ति से किसी प्रकार का हितबद्ध सम्बन्ध नही है। अतः प्रार्थी की कथशुदा आराजी तथा अपर जिला न्यायाधीश सं0 1 अजमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में अंकित आराजी भिन्न–भिन्न होने से उक्त विद्वान

तहसीलदार, अजमेर

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2017 प्रार्थी की कयशुदा आराजी पर प्रभावहीन रहता है।

3. यह कि अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अजमेर के समक्ष प्रार्थीगण उदा वगैरह में जो मूल दावा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–99 नियम 1 व 2 का प्रस्तुत किया था वह विक्रय पत्र दिनांक 05.10.2016 को अवैध व शून्य घोषित करवाने तथा साथ ही दावे का विचाराधीन रहते उक्त विक्रय पत्र में वर्णित आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत प्रस्तुत किया था। विद्वान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1, अजमेर द्वारा भी मात्र उक्त विक्रय आराजी बाबत ही स्थगन आदेश प्रदान किया गया था जो कि वर्तमान प्रार्थी की कयशुदा आराजी के कयशुदा आराजी के ख0न0 से भिन्न आराजी का है। जिससे प्रार्थी किसी भी रूप से प्रभावित नही होता है न ही बाध्य है।

4. यह कि उक्त दिवानी वाद संख्या 46/17 अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अजमेर के आदेश दिनांक 19.07.2017 के पृष्ठ संख्या 11 के पैरा संख्या 2 में न्यायालय द्वारा स्वंय माना गया है। प्रार्थीगण ने उक्त वाद विक्रय पत्र दिनांक 05.10.2016 निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है। ऐसी दशा में उनके द्वारा उक्त वाद के विनिश्चय तक उभय पक्षों को कथित विक्रय पत्र दिनांक 05.10.2016 में वर्णित विवादित आराजी खाता संख्या 347 खसरा नं0 नया/पुराना 1605/1647 रकबा 0.9 है. सम्पूर्ण भूमि के बाबत मौके व रिकॉर्ड की स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया था जिससे वर्तमान प्रार्थी की कयशुदा आराजी कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं था।

5. यह कि उक्त जवाब प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट के साथ प्रार्थी द्वारा विद्वान अपर जिला न्यायधीश संख्या 1 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश संख्या 39 नियम 1 व 2 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 19.07.2017 की प्रति, विक्रय पत्र दिनांक 05.10.2016 की प्रमाणित प्रति एवं प्रार्थी द्वारा क्रय की गई आराजी का विक्रय पत्र दिनांक 28.12.1981 की प्रति संलग्न है।

प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 01.10.2021 के अन्तिम पैरा में अंकित अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अजमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 46/17 में अंकित आराजी तथा प्रार्थी की सन् 1981 में कय शुदा आराजी भिन्न–भिन्न होने तथा प्रार्थी की उक्त कयशुदा आराजी पर किसी भी सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उसकी कयशुदा आराजी का नामा0 नियमानुसार तस्दीक किये जाने के आदेश न्याहित में प्रदान करावें।

तहसीलदार, अजमेर

उभय पक्ष को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद आदिनांक तक उपस्थिति नहीं हुए है।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपार्ट एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अजमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 46/17 में अंकित आराजी तथा प्रार्थी की सन् 1981 में कय शुदा आराजी भिन्न–भिन्न है तथा प्रार्थी की उक्त कयशुदा आराजी पर किसी भी सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है एवं पटवारी हल्का माखुपुरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में किसी भी न्यायालय से स्थगन नहीं होने की स्थिति में ~~अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत~~ [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के ~~आधार पर~~ प्रश्नगत भूमि में अपीलान्ट की कब्जेशुदा भूमि के हाल खसरा नम्बरों की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में किया जाकर पालना रिपोर्ट मय राजस्व रिकॉर्ड की प्रति के अविलम्ब प्रस्तुत करावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 1.12.21 को सुनाया गया।

तहसीलदार, अजमेर

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार, अजमेर